न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 04/2023(GCMS 2023/184)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **बलिहार सिंह** पुत्र मान सिंह जाति जटसिख
2. **मान सिंह** पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख
3. **लखविन्द्र कौर** पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख
4. **मान सिंह** पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख
5. **कृपाल सिंह** पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख
6. **हरजीत सिंह** पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख
7. **राजेन्द्र सिंह** पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख
   समस्त निवासीगण ग्राम 6ओ–ए,तहसील श्रीकरणपुर,जिला श्रीगंगानगर(राज.)
8. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,तहसील–श्रीकरणपुर,** जिला श्रीगंगानगर (राज.)

एवं

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 29/2023(GCMS 2023/145)

1. **बलिहार सिंह** पुत्र श्री मान सिंह जाति जटसिख आयु लगभग 44 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **मान सिंह** पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख आयु लगभग 70 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **लखविन्द्र कौर** पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख आयु लगभग 45 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वन इकाई,** जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, 191 कोर्ट रोड़, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन (राजस्थान)
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1)

14.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश छाब[illegible] हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम अप्रार्थी बलिहार सिंह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पर निर्णय किया जायेगा।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2023 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी प्रस्तुत किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्रियान्चयन इकाई हनुमानगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजमार्ग अधिनियम 1956 का सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित किन्नू के वृक्षों के सम्बन्ध में पारित अवार्ड के विरूद्ध श्रीमान् के सक्षम प्रकरण पेश किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, क्रियान्वयन इकाई हनुमानगढ़ द्वारा **अप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो न तो प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई अधिकार रखते है और न ही अवाप्ताधीन भूमि ग्राम 6ओ ए मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 में किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार रखते है।** उक्त अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का नाम अवार्ड में राजस्व अधिकारियों की सहवन से हुई त्रुटि के कारण दर्ज हो गया है, जिसे दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीग्ण 4 ता 7 न तो प्रार्थना पत्र के उचित पक्षकार है और न ही आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 के कारण प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब व उलझन पैदा होगा, जिसे प्रार्थना पत्र के त्वरित विचारण के लिए हटाया जाना न्यायोजित रहेगा। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का नाम हटाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्रियान्वयन इकाई हनुमानगढ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा प्रपत्र–अ में अप्रार्थी संख्या 4 से 7 का अंकन किया है, इसलिए उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 से 7 को पक्षकार बनाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि यदि उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर किसी भी अप्रार्थीगण में किसी प्रकार विवाद होता है तो उस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी श्रीमान्जी को नही है, इसलिए प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 4 से 7 [illegible] जाता है और अप्रार्थी संख्या 4 से 7 द्वारा यदि [illegible] समस्त जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से [illegible] बात का शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा। अगर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 इस बात का शपथ पत्र पेश करते है तो अप्रार्थी संख्या 4 से 7 का नाम हटाये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा प्रपत्र–अ में अप्रार्थी संख्या 4 से 7 का अंकन होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्रियान्वयन इकाई हनुमानगढ़ द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया गया है परन्तु पत्रावली में उपलब्ध सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषक का नाम के स्थान पर बलिहार सिंह पुत्र श्री मान सिंह ही अंकित है। इसीप्रकार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा प्रकरण **संख्या 01/2021 को अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित बिन्दु संख्या ए में बलिहार सिंह पुत्र मान सिंह चक 6ओ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं. 4, 5 में भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत अवाप्त भूमि में रोपित कुल 117 किन्नु के पौधें का मूल्यांकन किया जाना अंकित है।** इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 से 7 का नाम हटाये जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि अप्रार्थी संख्या 4 से 7 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो समस्त जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की होगी तथा इस बात का शपथ पत्र वे सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणुपर के समक्ष पेश करेगें।

अतः उक्त शर्त के अधीन अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा 6ओ–ए के मुरब्बा नं. 18 के बीघा नं. 4 व 5 की अवाप्त भूमि पर किन्नू के वृक्षों के सम्बन्ध में पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 पर मध्यस्थ अवार्ड :

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने ग्राम 6 ओ–ए के मुरब्बा नं 18 के किला न. 4 व 5 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के वृक्षों के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को अपने मन मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के अनुमोदन बाद केन्द्र सरकार ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के लिये राजस्थान राज्य के 34.500 किमी. से 71.000 किमी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सेक्शन) के निर्माण (चौडा करने/दो लेन/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वाके ग्राम 6 ओ–ए के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 में से अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। तदोपरान्त धारा 3ए(3) के तहत उक्त अधिसूचना का आमजन को सूचित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाकर 21 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा 3सी के तहत नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त प्राप्त आपत्तियों को निर्णित करने के पश्चात धारा 3डी का अपना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अर्जन की घोषणा हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 31.08.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। धारा 3डी(2) के अनुसार अवाप्त भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग **अधिनियम, 1956** की धारा 3जी व धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 02.04.2018 को प्रचलित भूमि की दर उप पंजीयक से प्राप्त करने के उपरान्त उसे उपयोग में लेकर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी के अन्तर्गत भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि व उस पर स्थित परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण धारा 3ए के प्रकाशन की तारीख से किया जाता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़ पौधो का मूल्यांकन करने के लिए सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित ने दिनांक 30.09.2021 को मौका निरीक्षण रिपो[illegible] नम्बर 18 के किला नं 4 व 5 की अवाप्त भूमि प[illegible]ना व आयु निर्धारित की गई, जिनमें कमेटी ने कुल 117 पौधों की आयु [illegible] मानी, के आधार पर मुआवजा राशि रिपोर्ट तैयार कर दी गई तथा मौका नि[illegible]ण करने पर मुरब्बा नम्बर 18 के बीघा नं. 4 व 5 में कुछ भूमि भारतमाला सड़क के अन्तर्गत आना प्रस्तावित है। **उक्त भूमि में 117 किन्नू के पौधे ड्रिप पर रोपित है, जिसकी आयु 10 वर्ष है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे **यह भी कथन है कि** उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार **सामान्यतः 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात ही मौसमी, संतरे, किन्नू आदि के पौधो का रोपण किया जाता है।** उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्त 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर केवल लगभग 68 किन्नू के पौधे ही रोपित किये जा सकते है। इसलिये प्रकरण में 117–68= 49 किन्नू के पौधों का कोई मूल्यांकन उपरान्त मुआवजा अवार्ड पारित नहीं किया जाना न्यायोचित था। लेकिन संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड, श्रीगंगानगर ने केवल मात्र 17 पौधों को ही उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार निर्धारित विन्यास में रोपित नहीं पाये जाने से आधार मूल्य दिया जाना उचित बताया, जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने उक्त 17 पौधों का आधार मूल्य दिया जाकर उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि विधिवत व उचित नही होने के कारण संशोधित/ निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर द्वारा भा.रा.रा.प्रा. की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्याकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, जबकि हस्तगत प्रकरण में सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर द्वारा मनमुताबिक तरीके से अप्रार्थी खातेदारों से मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुँचाने की चेष्टा रखते हुये किन्नू के पौधो की उपज को होने वाले नुकसान के स्थान पर संभावित शेष आयु को आधार मानते हुये मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके आधार पर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है। [illegible] हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/ उत्पादन एक समान होने के बावजूद भी श्रीगंगानगर में किन्नू के प्रश्नगत पौधों की आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारण करना सरासर अनुचित एवं अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषक अपनी भूमि में लगे किन्नू के पौधों की देखरेख करने, पौधों को खाद/दवाई/पानी देने, मजदूर लगाकर फलो को

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तोड़ने, पैकिंग करने, परिवहन आदि के संबंध में राशि खर्च करता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी खातेदार को खेत में लगे किन्नू के पौधों का भविष्य में संभावित लागत/खर्च को बिना कम किये सहायक निदेशक उद्यान ने अपने मनमुताबिक तरीके से संभावित शेष आयु को आधार बनाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जबकि अप्रार्थी खातेदार की भूमि पर लगे किन्नू के वृक्षों को वर्तमान में ही अवाप्त हो जाने से भविष्य में कोई खर्च ही नही हुआ और न ही कोई खर्च होने का प्रश्न उठता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में कृषक के खेत में से अवाप्त फलदार किन्नू के पौधी का मूल्यांकन मनमाने तरीके से बाजार दर के आधार पर किया है। जबकि वास्तविक रूप से यदि उक्त प्रश्नगत पौधो को खेत में से खरीद किया जाता, तो कृषक को बाजार दर प्राप्त नहीं होती. क्योकि बाजार दर प्राप्त करने उपरोक्त राशि कृषक को खर्च करनी होती है। परन्तु फिर भी सहायक निर्देशक उद्यान ने उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थी को हानि पहुँचाने की चेष्टा रखते हुये मनमुताबिक तरीके से प्रश्नगत किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जॉंच के आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर को अवाप्त भूमि पर लगे प्रत्येक किन्नू के पौधों की उत्पादन क्षमता, वृद्धि, स्थिति व रखरखाव को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, क्योंकि बाग में लगे समस्त पौधों में से कई पौधों की फल उत्पादन की क्षमता कम होती है एवं कई पौधे फल ही नही देते है तथा कई पौधे नष्ट हो जाते है, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान ने बिना किसी जॉंच के अवाप्ति में आये बाग में लगे समस्त पौधों की फल देने की **उत्पादन क्षमता एक समान मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी**, जिसको आधार मानते हुए अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि [illegible] होने के कारण संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] –पौधों की आयु निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से कोई दिशा–निर्देश व [illegible] पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण संबंधित पदस्थ सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा अपने अधिकारो का दुरूपयोग कर मनमुताबिक तरीके से बिना किसी आधार के पेड–पौधों की आयु निर्धारित कर दी जाती है।

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने सहायक निदेशक उद्यान से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिना किसी सक्षम साक्ष्य के किन्नू के पौधों की फलत की सम्पूर्ण आयु 30 वर्ष मानी है, जो अत्यधिक है व प्रस्तुत प्रकरण में 117 पौधे अवाप्ति में माने है, जिनमें से 100 की आयु 10 वर्ष मानते हुये फलतः की शेष आयु (30–10)= 20 वर्ष मानी है। प्रकरण में 100 पौधो का प्रचलित बाजार भाव से वर्तमान का मुआवजा निर्धारित करने के बजाय भविष्य में होने वाले उत्पादन का औसत उपज, औसत बाजार भाव, फलत की शेष आयु आदि के अनुसार प्रति पौधा 51,917 / – निर्धारित कर 100 पौधो का मुआवजा 51.91,700 / – तथा 17 पौधों का आधार मूल्य 86.989 / – निर्धारित करने के बाद दोनों की शत् प्रतिशत सोलेशियम राशि 52,78,689 / –अधिरोपित कर कुल मुआवजा राशि 1,05,57,378 / – रूपये का दिनांक 24.06.2022 को परिसम्पत्तियों का अवार्ड पारित किया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा निर्धारण करने के सबंध में कानून की स्थिति भी स्पष्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानो की अनुपालना में अवाप्त भूमि मय परिसम्पत्तियों का मुआवजा धारा 3ए के प्रकाशन की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य से निर्धारित किया जाता है, ना कि शेष भविष्य की आयु में होने वाले उत्पादन के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में प्रयुक्त शब्द "भूमि" के अंतर्गत भूमि व उससे उत्पन्न फायदे, भूमि से साथ जुड़ी व स्थाई रूप से जकडी हुई चीजे, जैसे भूमि पर स्थित पेड़, पौधे, फसल, मकान अथवा अन्य कोई संरचना आदि आती है, इसलिये पौधो का मुआवजा भविष्य की आयु में होने वाले उत्पादन के आधार पर निर्धारित नही किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अधीन जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition के अध्याय 3.5.3 (IX) के अनुसार बाजार मूल्य प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के आधार [illegible] भविष्य की क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो में अवाप्त भूमि व सलंग्न आस्तियो, पौधों व वृक्षो आदि का प्रारम्भिक अवाप्ति अधिसूचना के समय प्रचलित बाजार मूल्य ही दिये जाने के प्रावधान है। शेष भविष्य की आयु को आधार बनाकर भविष्य में होने वाले उत्पादन के आधार पर मुआवजा निर्धारित करने के कोई विधिक प्रावधान नही है, इसलिये राज्य सरकार, उद्यान आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जयपुर द्वारा

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जारी परिपत्र क्रमांक 4162–4247 दिनांक 1911.2020 के अनुसरण में शेष आयु को आधार बनाकर विधिक दृष्टि से मुआवजा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई परिपत्र व संसद/विधायिका द्वारा निर्मित कानून हो, तब परिपत्र पर कानून अधिप्रभावी होता है, इसलिये हस्तगत प्रकरण में शेष आयु से मुआवजा निर्धारित करने की सीमा तक उक्त परिपत्र प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थी खातेदार प्रकरण में शेष आयु के आधार पर भविष्य में होने वाले उत्पादन के अनुसार कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित आस्तियों का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिये **सम्बधिंत विशेषज्ञ की सेंवाये ली जा सकती है,** लेकिन उन्हें मानने के लिये वह बाध्य नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान ने राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र दिनांक 19.11.2020 के अनुसरण में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की है, जिसमें से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को केवल विधिनुसार प्रचलित औसत बाजार भाव व औसत उपज को लेकर वर्तमान मुआवजे का अवार्ड पारित करना था। **अधिनियम में मुआवजा निर्धारित करने के लिये केवल सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकृत है, ना कि सहायक निदेशक उद्यान अधिकृत है, इसलिये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पौधों की भविष्य की शेष आयु को आधार बनाकर भविष्य में होने वाले उत्पादन के आधार पर अवार्ड पारित नही करना था।** इसलिए आलौच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि फलदार पौधों का औसत उत्पादन व औसत बाजार भाव के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान ने पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर भविष्य में समस्त पौधे जीवित रहने व एकसमान उत्पादन देने की पूर्ण गारंटी वर्तमान में ही देकर भविष्य का मुआवजा निर्धारित कर दिया गया, जो गलत व विधि विरूद्ध है। अतः फलत की शेष आयु को भविष्य में होने वाले उत्पादन का आधार बनाकर मुआवजा निर्धारित नही किया जा सकता है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक [illegible] को अपास्त कर विधि अनुसार मध्यस्थ अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की है और प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ एवं मानीय उच्चतम न्यालयय के निर्णयों की प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने ग्राम 6 ओ–ए के मुरब्बा नम्बर 18

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के किला नम्बर 4 व 5 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के पौधों के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को अत्याधिक न्यून, बिना सम्बन्धित नियमों का अवलोकन किये एवं महज प्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान की रिपोर्ट, जिसमें यह तथ्य प्रमाणित था कि प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 117 किन्नू के व्यस्क पौधे है जो 10 वर्ष की आयु के है एवं जिसके सन्दर्भ में समस्त वस्तु:स्थिती, मौका देखकर सम्बन्धित रिपोर्ट ली जाकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुआवजा राशि एवं इस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम आरोपित करते हुए यथा राशि प्रार्थीगण को पौधों के नुकसान के आंकलन स्वरूप दिये जाने का प्रावधान अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 में किया जाना चाहिये था, को नजर अन्दाज कर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को ना मानते हुए वरन् अपने विवेक को ही अवॉर्ड में आधार बनाते हुए 100 पौधों को आधार मानकर मुआवजा राशि की गणना की एवं 17 पौधों का आधार मूल्य लगाते हुए अवॉर्ड पारित किया गया एवं बिना मौका जांच स्वयं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किये अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 पारित कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है एवं पूर्व रिपोर्ट प्रीति बाला सहायक निदेशक उद्यान को ना माने जाने का कोई भी आधार अवॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 प्रार्थीगण की हद तक यथा संशोधित किया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित करते हुए सोलेशियम आरोपित कर प्रार्थीगण को दिलाये जाने हेतु आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किये जाने योग्य है **जिसके सन्दर्भ में प्रार्थीगण की ओर से पृथक से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है** यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर खडे पेड़ों के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाये जाते समय स्पष्ट रूप से अपने पत्र में अंकित किया कि सन् 2018 की स्थिती अनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें एवं इसी अनुरूप सन् 2018 की परिस्थित[illegible] प्रीती बाला के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

उनका आगे यह भी कथन है [illegible] अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़ पौधों का मूल्यांकन कर मौका [illegible]क्षण रिपोर्ट कर मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 4 व 5 में स्थित किन्नू के पौधों की गणना कर 117 पौधों की आयु 10 वर्ष की मानकर मुआवजा राशि रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिसमें प्रार्थी की किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि 60,74,289/– रूपये होना अंकित किया गया था जिसे ना माने जाने का कोई आधार सक्षम प्राधिकारी के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं था लेकिन प्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से उक्त रिपोर्ट का ना माना जाकर वरन् अपने हिसाब से अपने स्तर पर कृषि विशेषज्ञ की रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर 117 पौधों में से महज 100 पौधों की मुआवजा राशि तैय करते हुए एवं शेष 17 पौधों का आधार औसत मूल्य तैय करते हुए मुआवजा की राशि 52,78,689/– रूपये तैय की गयी जबकि 17 पौधों का आधार औसत मूल्य लगाने के पीछे कोई आधार अथवा विवेचन अवॉर्ड में नहीं किया गया वरन् प्रार्थी के द्वारा **प्रथम बार इस स्तर पर मौजूदा याचिका में यह अंकित किया है कि किन्नू के पौधें विन्यास के तौर नहीं लगे हुए होने के कारण 100 पौधों का भी मुआवजा गलत तैय किया गया है उक्त आधार प्रार्थी के द्वारा वेग, विधि विरूद्ध एवं आधारहीन अंकित किये गये** है जो कि आवेदन पत्र का आधार नहीं हो पाने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 में महज 100 पौधे विभाग के मापदण्डानुसार रोपित होने प्रतीत होते है एवं बाकी के 17 पौधों का आधार मूल्य मुआवजा राशि के तौर पर दिया जाना उचित प्रतीत होने गलत कथन अंकित किया गया है क्योंकि ऐसा कोई विभागीय पैरामीटर नहीं है कि 2 बीघा अवाप्त भूमि में 117 पौधे नहीं हो सकते है जबकि प्रस्तुतकर्ता रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार एवं कृषि विशेषज्ञ के अनुसार मौका पर 10 वर्ष की आयु के 117 पौधे होना एवं भूमि अवाप्ति में उनका नष्ट होना एवं प्रार्थीगण को नुकसान होना प्रमाणित था ऐसी स्थिती में अधिनियम की मंशा अनुरूप प्रार्थीगण समस्त 117 पौधों का एवं इसके चिपती भूमि पर भी होने वाले पौधों के नुकसान का आंकलन करवाकर मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। किसी भी विधि अथवा अधिनियम के अन्दर यह परिभाषित नहीं है कि किन्नू के पौधे यदि ज्यादा मात्रा में लगे हों तो वे बाग की श्रेणी में नहीं आते है अथवा फल नहीं देते है। नुकसान प्रार्थीगण को हुआ है यह तथ्य प्रमाणित है एवं नुकसान का आंकलन कर ही सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी [illegible] आधार नहीं होने के बावजूद अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 अत्यधिक [illegible] मुआवजा राशि का पारित किया गया जिसे पृथक से चुनौती दी जा रही है [illegible] समस्त वस्तु:स्थिती से भिन्न एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का आशय अधिनियम की मंशा के प्रतिकूल प्रार्थीगण को मुआवजा राशि ना देने का है इसलिये बिना किसी आधार के अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 अनुचित एवं अवैध मान रहे है। अवार्ड को अवैध मानने

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के अनुसार, उधान विभाग के मापदण्डानुसार सामान्यतः 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात ही पौधों का रोपण किया जाता है जबकि ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है एवं इस प्रकरण में यह बिन्दु स्पष्ट एवं प्रमाणित है कि मौका पर 117 पौधे रोपित है जो 10 वर्ष की आयु के है एवं फल दे रहे है एवं यह भी प्रमाणित है कि पौधे हाल फिलहाल में लगाये हुए नहीं है ऐसी स्थिती में जब दस वर्ष से पौधे रोपित होकर फल दे रहे है एवं रोपित पौधों के संदर्भ में कोई विरोध अथवा रोपण के सम्बन्ध में विवाद नहीं है तो इस मद में वर्णित तथ्यों का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं ना हीं ऐसे तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि उधान विभाग के कथित मापदण्डानुसार मौजूदा प्रकरण में अवाप्त 0.2428 है. भूमि पर महज 68 किन्नू के पौधे ही रोपित किये जा सकते है, का कथन असत्य एवं असंगत है क्योंकि जबकि प्रार्थी कृषि विशेषज्ञ नहीं है एवं कृषि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में ऐसा कोई मापदण्ड अथवा आक्षेप नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान की रिपोर्ट के आधार पर 117 किन्नू के पौधों का आंकलन कर अवार्ड दिनांक 24.06.2022 पारित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया एवं इसके विरूद्ध असन्तुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग अधिनियम के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित था कि प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 117 किन्नू के पौधे रोपित है जिसमें समस्त वस्तुःस्थिति, मौका देख कर एवं सम्बन्धित रिपोर्ट ली जाकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुआवजा राशि प्रस्तावित की गयी थी, जिस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम आरो[illegible] परिसंपतियों में किन्नू के पौधों के नुकसान के आंकलन [illegible] जाने का प्रावधान अवार्ड दिनांक 24.06.2022 में कि[illegible] के द्वारा उक्त रिपोर्ट को न मानते हुए अवार्ड पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थीगण को अवार्ड के अधीन कोई भी राशि अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों को सुरक्षित करते हुए प्रदान नहीं की है, जिसे **अप्रार्थीगण मूल राशि मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, **उभयपक्ष की बहस सुनी** और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रांर्थी बलिहार सिंह वगै. की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम 6ओ–ए के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से अप्रार्थी का 52,78,689/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आवार्ड दिनांक 24.06.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और प्रश्नगत किन्नू के प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाले संभावित लागत एवं आयु को कम कर अवाप्ति के समय प्रश्नगत प्रत्येक किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता, आयु के आधार पर संशोधित अवार्ड जारी करने की मांग की है इसके साथ साथ भविष्य में होने वाले उत्पादन को आधार बनाकर मुआवजा निर्धारित करने का कोई विधिक आधार नहीं होने के कारण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को अपास्त कर विधि अनुसार मध्यस्थ अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 52,78,689/– तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, प्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**—(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956 जारी किया गया है। गाईडलाईन का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> 3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :
>
> (i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification under Section 3A of the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation. As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/ videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

> **3.5.6 Other factors**
>
> (ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored. Conversely, any damage done to the land has to be **duly factored while determining the compensation amount.** It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in **determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium)** or take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount. It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on **additional amount calculated @12% from the date of preliminaty** Notification till the [illegible]ent of Award under sub-section(3) of [illegible] 2013. to illustrate another situation, a landowner may [illegible] to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gazette [illegible] the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be **duly factored by the CALA** while determining the compensation amount.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित राजष्ट्रीय राजमार्ग **अधिनियम** के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि / बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह **भूमि / बाग आदि का** अधिसूचना **दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।**

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी बलिहार सिंह वगै. की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि / उस पर किसी प्रकार का निर्माण / पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी बलिहार सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 30.09.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को प्रेषित की है। उक्त मौका निरीक्षण दिनांक 30.09.2021 को अवाप्त की गई में कुल 117 पौधे 10 वर्ष के पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान, सहायक निदेशक उद्यान एवं प्रोजेक्ट इंचार्ज के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि पर गूगल ईमेज दिनांक 28.10.2012, 13.11.2015, एवं 11.08.2018 एवं खसरा गिरदावरी के आधार पर बाग के रूप में पौधे अस्तित्व में थे, इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा देय बनता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में उल्लेख किया है कि उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार सामान्यतः 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात की मौसमी, संतरे, किन्नू आदि के पौधों का रोपण किया जाता है, जिसके अनुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्त 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर केवल 68 किन्नू के पौधे की रोपित किये जा सकते है। इसलिए प्रकरण में (1[illegible]8) [illegible] किन्नू के पौधों का कोई मूल्यांकन उपरान्त मुआवजा अवार्ड पारित नहीं किया [illegible] न्यायोचित बताया है जबकि **कृषि जलवायु खण्ड, श्रीगंगानगर प्रथम–बी, संयुक्त निदेशक कृषि, श्रीगंगानगर द्वारा प्रमुख रबी फसलों की उन्नत कृषि विधियां के पृष्ठ संख्या 71 पर नींबू वर्गीय के फलों की खेती हेतु दिये गये प्रावधान निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

नींबू वर्गीय पौधे 6 X 6 मीटर की दूरी पर तथा मौसमी, संतरा के पौधे 6 X 6 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे लगाने के लिए 1X1X1 मीटर आकार के गढ्ढे दो माह पूर्व अर्थात मई, जून के महीने में खोद लेने चाहिए। गढ्ढो में 50–60 किलो गोबर की खाद तथा एक किलो सुपर फास्फेट, 50 से 100 ग्राम क्यूनॉलफॉस (1.5 प्रतिशत) चूर्ण गढ्ढों की मिट्टी में मिलाकर भर देनी चाहिए। पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई से सितम्बर रहता है। जहां पानी की अच्छी सुविधा हो वहां इनको फरवरी में भी लगाया जा सकता है।

किन्नू में ड्रिप पद्धति से सिंचाई के लिए फसल ज्यामित 6X4 वर्ग मीटर एवं 6X3 वर्ग मीटर उत्तम पायी गयी।

सहायक निदेशक उद्यान की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण की उक्त भूमि पर 117 किन्नू के पौधे ड्रिप पर रोपित है, जिनकी आयु 10 वर्ष है। उद्यान विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण की उक्त भूमि ड्रिप पद्धति से सिंचाई के पौधे रोपित है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी सही माना है और उक्त प्रावधानों के अनुसार किन्नू में ड्रिप पद्धति से सिंचाई के लिए फसल ज्यामित 6X4 वर्ग मीटर एवं 6X3 वर्ग मीटर उत्तम पायी गयी। इसलिए प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह कथन की 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात की मौसमी, संतरे, किन्नू आदि के पौधों का रोपण किया जाता है, जिसके अनुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्त 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर केवल 68 किन्नू के पौधे की रोपित किये जा सकते है, सही प्रतीत नहीं होता है और **ड्रिप पद्धति से सिंचाई के लिए फसल ज्यामित 6X4 वर्ग मीटर एवं 6X3 वर्ग मीटर उत्तम होने के कारण उद्यान विभाग की फर्द मौके रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 में चक 6 ओ के मुरब्बा नं. 18 के किला न. 4 व 5 में 117 पौधें रोपित किया होना अंकित किया है, जो सही प्रतीत होता है।**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना [illegible] इकाई, हनुमानगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में किन्नू के [illegible] को [illegible] में अवाप्त किया गया है इसलिए शेष आयु को भविष्य में होने वाली [illegible] आधार बनाकर मुआवजा निर्धारित करने का कोई विधिक आधार नहीं होना [illegible] है जबकि **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी** द्वारा आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.11( ) नि3/राजहंस/मुआवजा/2020–21/4162–4247 दिनांक 19.11.2020 में निम्नानुसार गणना के प्रावधान दिये गये है:

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

परिपत्र

राज्य में स्थित फलदार पौधों को विभिन्न कार्यों यथा बांधों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, पेट्रोलियम पाइप साईन, बिजली की हाईटेंशन, ट्रांसमिशन लाईन स्थापित करने आदि को काटने पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों को, मुआवजा दिये जाने हेतु मुआवजा राशि की गणना की जाती है। इस काम में विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्र क्रमांक 3546–3808 दिनांक 13.07.2006 में अंकित परिपत्र क्रमांक 6315–38 दिनांक 08.09.2006 को दिनांक 06.09.2005 पढा जाये। संशोधित परिपत्र कमांक 2500–2644 दिनांक 12.03.2018 में अंकित शुरूवाती 3 वर्षों की मुआवजा गणना में आधार मूल्य की 3 से गुणा कर मुआवजा निर्धारित करने के निर्देश को आधार मूल्य को 3 से गुणा कर पढ़ा जाये। इस क्रम में स्पष्ट करते हुए मुआवजा राशि की गणना निम्नानुसार की जाये।

मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक)= पौधे का आधार मूल्य X3

मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र पश्चात) = पौधे का आधार मूल्य + (फलतः की शेष आयु X औसत उपज Xऔसत बाजार भाव)

....

पौधे की आयु, फलत की शेष उम्र, उपज एवं बाजार भाव का निर्धारण (एगमार्कनेट या क्षेत्र से संबधित कृषि उर्पज मण्डी / समिति के तीन वर्षों के औसत भाव का औसत लिया जाये) व सहायक निर्देशन उद्यान / उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा।

इस कमेटी में कृषि अनुसंधान अधिकारी (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्यान वैज्ञानिक, रेवेन्यू एजेन्सी के अधिकारी को शामिल किया जावे। विभिन्न कारणों से फलदार पौधों के कटने की स्थिति में उससे प्राप्त लकडी किसान की ही होगी, भले ही उसे पौधे का मुआवजा प्रदान कर दिया गया हो।

इस प्रकार **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी)** द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त परिपत्र के आधार पर भविष्य में होने वाले उत्पादन को आधार मुआवजा राशि दी गई है, जो सही प्रतीत होती है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का भविष्य में होने वाले उत्पादन का आधार बनाकर मुआवजा निर्धारित करने सम्बन्धित बिन्दु खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि उन्हें आज दिनांक तक अवार्ड के अधीन कोई भी राशि विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नहीं दी गई है, इसलिए उसे मुआवजा राशि मय ब्याज दिया जावे, जबकि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को जो मुआवजा राशि दी जा रही है वह भविष्य मे होने वाले उत्पादन पर भी दी जा रही है, तथा किन्नू के पौधे की मुआवजा राशि के बराबर अर्थात 100 प्रतिशत तोषण (Solatium) राशि दिये जाने का प्रावधान है, इसलिए अप्रार्थीगण का मुआवजा राशि मय ब्याज दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज दिनांक 28.10.2012, 11.08.2018 एवं 13.11.2015 में अप्रार्थीगण की अवाप्त भूमि 6ओ–ए के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 में 114 पौधे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे है अर्थात 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के समय अप्रार्थीगण की उक्त भूमि पर 10 वर्ष के 114 पौधे रोपित थे किन्तू अप्रार्थीगण की मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 की 0.2428 हैक्टेयर भूमि ही अवाप्त की गई है और उक्त अवाप्त की गई भूमि पर धारा 3ए के नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 को 100 पौधे 10 वर्ष की आयु के रोपित थे। इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की फर्द मौका रिपोर्ट पर दिनांक 30.09.2021 में 117 पौधे दर्शाये गये है वे उक्त मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं. 4 व 5 में रोपित समस्त पौधे दिखाये गये है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा उक्त किला नं. 4 व 5 की 0.2428 हैक्टेयर भूमि ही अवाप्त की गई है जिस पर धारा 3ए के नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 को 100 पौधे 10 वर्ष की आयु के रोपित थे, जिनका मुआवजा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा तय किया जाना था किन्तु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी ने समस्त 117 किन्नू के पौधों हेतु जो मुआवजा राशि तय की है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि धारा 3ए के नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थीगण की चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 4, 5 में अवाप्त की गई 0.2428 हैक्टेयर भूमि में लगे पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 के अनुसार मुआवजा राशि तय की और न ही उक्त अवाप्त भूमि में लगे बाग का मुआवजा राशि तय की है इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, द्वारा मुआवजा राशि 52,78,689/– अवार्ड के रूप में तय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी बलिहार सिंह वगै. की हद तक खारिज किया जाता है। सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर बाग था **और अप्रार्थीगण की चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 4, 5 में अवाप्त की गई 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर 100 पौधे 10 वर्ष की आयु के रोपित थे,** इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि वे, अप्रार्थीगण के उक्त बाग रोपित 100 पौधों की मुआवजा राशि मय तोषण राशि नियमानुसार दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो वह भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। उक्त निर्णय की मूल प्रति दोनों प्रकरणों में शामिल की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested